

मुख्य हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

19.7.23

उद्घाटन गांवों के रंग आगोपन - 2013
केन्द्र गा.प. रेवाडा मेडा में जमीन
सरपंच ग्राम पंचायत रेवाडा मेडा की
ओर से जमीन का चेरा कर निवेदन
दिना कि ग्राम रेवाडा मेडा की खलत
नम्बर 349/336 रफका 02 बीटा ग्राम
जिल्ला मे.पु. आवली में आवोपन हो
लेकिन तस्मीन मोका पर इन्फोर्म आवोपन
के विपरीत हो रही हैं। कतः मोका
रिपोर्ट नुसार तस्मीन इन्फोर्म करने की
निवेदन दिना। जमीन के आवोपन - पत्र की
जांच तस्मीन पत्रपत्रा के कताड
गई। तस्मीन पत्रपत्रा कड इतर
अनुशंखा कति रिपोर्ट उपलब्ध कलाएंगे।

जमीन का आवोपन अन्वर्त धरा
131, 136 R & R Act के तहत दर्ज रखीकर
दिना गया। जमीन का आवोपन - पत्र, खलत
दस्तावेजा व जांच रिपोर्ट का खोजने का
दिना। वीरुमें तस्मीन पत्रपत्रा इतर
रिपोर्ट में खलत अंकन दिना है। कि
खलत नम्बर 349/336 की तस्मीन
मोका रिपोर्ट के विपरीत हो रही हैं।
कति परिशील 'ख' अनुसार तस्मीन
इन्फोर्म कि याने की अनुशंखा की गये हैं।
रेती खलत में तस्मीन पत्रपत्रा की
अनुशंखा मप रिपोर्ट अनुसार तस्मीन इन्फोर्म
की याने अपापोपित करी होती है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

श्रीधरजी धामी का शब्देन-पत्र लोक-
अदालत की भावना व अदालत को तदनुसार
राखते हुए स्वीकार किया जाकर मात्र
बेथा/पैसा की खर्चा तबख 349/336
नेअफस 0.3237 हेक्टर पर भूमि की विद्वान
तरीफ निरलन की जाकर, ~~पैसा~~ आज
शिवो के कलम परीक्षित 'ख' आदालत
तरीफ हुक्मन कले के आदेश कि
जाते हैं परीक्षित 'ख' शब्दों का
अर्थन होगा होगा/तदनुसार पत्रपत्र
को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार
रेकॉर्ड में तरफिद हुक्मन किया जाता
होगा/पैसा कलमें।

आदेश प्रमाण गंगा।

पत्रावली केवल मुद्रा/दोहर वालीय
दफतर हों।

रिश्त धामी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा